<u>प्रतिवेद्य</u>

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिता

<u>सिविल अपील संख्या 5212/2022</u>

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 1563/2021 से उत्पन्न)

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य **अपीलार्थी**

बनाम

मोहम्मद रेहान खान **प्रत्यर्थी**

के साथ

<u>सिविल अपील संख्या 5213/2022</u>

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 5524/2021 से उत्पन्न)

निर्णय

<u>न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़</u>

1 अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के 25 अगस्त 2020 दिनांकित के निर्णय से उत्पन्न होती है। खण्ड पीठ ने 5 नवंबर, 2019 दिनांकित को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगणों द्वारा दायर की गई अंतर–न्यायालय अपील को खारिज कर दिया, जिसमें

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अपीलार्थीगणों को निर्देश दिया गया था कि वे अनुकंपा के आधार पर चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थी की अभ्यर्थिता पर विचार करें।

3. प्रत्यर्थी के पिता को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शाहजहांपुर में अर्थशास्त्र और सांख्यिकी अधिकारी के कार्यालय में ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया था। 2015 में उनकी मौत हो गई थी। प्रत्यर्थी को कार्यालय अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी, शाहजहांपुर में जूनियर असिस्टेंट के तृतीय श्रेणी के पद पर 'अस्थायी तौर पर' नियुक्त किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु (दसवां संशोधन) नियमावली 2014[1] के नियम 5(1) में निर्धारित शर्त के अनुसार दिनांक 30 मई 2016 के नियुक्ति पत्र में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्यर्थी को एक वर्ष के भीतर पच्चीस शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति प्राप्त करनी होगी। नियुक्ति पत्र का खंड 4 निम्नलिखित शर्तों में है:

> "4. उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु (दसवां संशोधन) नियमावली, 2014 के नियम 5(1) में निर्धारित शर्त के अनुसार आश्रित के रूप में नियुक्त व्यक्ति को एक वर्ष के भीतर 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति और डीओईएसीसी सोसाइटी द्वारा कंप्यूटर संचालन में सीसीसी प्रमाणपत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित प्रमाण पत्र प्राप्त करना वांछित है और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी और टाइपिंग की अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए उसे एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि प्रदान की जाएगी, और यदि विस्तारित अवधि में भी वह पुनः टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।"

4. नियमों के दसवें संशोधन द्वारा 2014 में यथा संशोधित सेवाकाल के दौरान मृत्यु नियमावली के नियम 5 में, जिसे अन्य बातों के साथ–साथ साथ–साथ 17

---

1 " नियमावली 2014"

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

जनवरी 2014 दिनांकित को अधिसूचित किया गया था, निम्नलिखित अनुबंध शामिल हैंः

> "परन्तु यह और कि यदि किसी ऐसे पद पर नियुक्ति की जानी है जिसके लिए कंप्यूटर संचालन और टंकण का ज्ञान एक आवश्यक योग्यता के रूप में निर्धारित किया गया है और सरकारी कर्मचारी के आश्रित के पास कंप्यूटर संचालन और टाइपराइटिंग में आवश्यक दक्षता नहीं है, उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जाएगा कि वह एक वर्ष के भीतर टाइपराइटिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की आवश्यक गति के साथ डीओईएसीसी सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए कंप्यूटर ऑपरेशन में सीसीसी प्रमाणपत्र या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी और उसे कंप्यूटर संचालन में आवश्यक प्रमाणपत्र और टाइपराइटिंग में आवश्यक गति प्राप्त करने के लिए एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि दी जाएगी और यदि विस्तारित अवधि में भी वह फिर से आवश्यक प्रमाणपत्र कंप्यूटर संचालन और आवश्यक गति टाइपराइटिंग प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।"

5. प्रत्यर्थी ने कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। वह टाइपिंग टेस्ट के अपने पहले प्रयास में विफल रहा। उसे दिनांक 20 मार्च 2017 को एक कार्यालय आदेश द्वारा सूचित किया गया था कि उसकी टाइपिंग गति केवल 6 शब्द प्रति मिनट है और इसलिए उसने प्रति मिनट 25 शब्दों की अपेक्षित गति प्राप्त नहीं की है। इसके बाद, उसे 7 अगस्त 2019 को टाइपिंग टेस्ट पास करने का दूसरा अवसर दिया गया। दिनांक 8 अगस्त 2019 को यह अधिसूचित किया गया कि प्रत्यर्थी टाइपिंग टेस्ट में पास नहीं हुआ था। 11 सितंबर 2019 को, बरेली डिवीजन के उप निदेशक (आर्थिक और सांख्यिकी) ने प्रत्यर्थी की सेवाओं को समाप्त कर दिया।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

6. प्रत्यर्थी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की जिसमें प्रत्यर्थी के रोजगार को समाप्त करने के 11 सितंबर 2019 दिनांकित आदेश और याचिकाकर्ता को उसे सेवा में बहाल करने का निर्देश देने वाला परमादेश को रद्द करने की मांग की गई थी। प्रत्यर्थी का यह तर्क था कि जब वह टाइपिंग टेस्ट दे रहा था, कंप्यूटर में खराबी थी, और यह कि समाप्ति का आदेश कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना जारी किया गया था। दिनांक 5 नवंबर, 2019 को दिए गए एक निर्णय के अनुसार, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने पहले के एक निर्णय पर अवलम्ब लिया। मुकुल सागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[23] के मामले में दिया गया निर्णय जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि हालांकि अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को 2014 के नियमों के नियम 5 के अनुसार के पद से हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन अधिकारी वर्ग 4 के पद पर नियुक्ति के दावे पर विचार कर सकते थे। यह पाया गया कि इस तरह की व्याख्या सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति के उद्देश्य के अनुरूप होगी।एकल न्यायाधीश ने इस निर्देश के साथ रिट याचिका निस्तारित किया कि मुकुल सागर (उपरोक्त) में किये गए अवलोकनों के मद्देनजर प्रत्यर्थी के सेवा की समाप्ति पर फिर से विचार और दो महीने के भीतर एक नया आदेश पारित किया जाना चाहिए। एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित निर्देश दिया:

> "उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका का निस्तारण प्रत्यर्थी संख्या 3 को इस मुद्दे पर फिर से विचार करने और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 4.7.2018 के उक्त आदेश में किए गए अवलोकन को ध्यान में रखने के निर्देश के साथ किया जाता है और इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्रस्तुत करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर एक नया

2 दिनांक 4 जुलाई 2018 को निर्णीत रिट याचिका संख्या 12737/2018

3 दिनांक 4 जुलाई 2018 को निर्णीत रिट याचिका संख्या 12737/2018

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

आदेश पारित किया जाए।"इस याचिका में विवादित आदेश संबंधित प्राधिकारी द्वारा पारित किए जाने वाले नए आदेशों के अधीन रहेगा।"

7. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 25 अगस्त 2020 को यह देखते हुए अपील खारिज कर दिया कि प्रत्यर्थी की पहले ही सेवा से समाप्त कर दी गई है और एकल न्यायाधीश ने केवल यह निर्देश दिया था कि प्रत्यर्थी के मामले पर चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में नए सिरे से अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाए।

8. हमने अपीलार्थी की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता श्री अंकित गोयल और प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री दानिश जुबैर खान और श्री जयप्रकाश सोमानी को सुना।

9. प्रत्यर्थी की नियुक्ति आदेश में यह निर्धारित किया गया था कि उसे कंप्यूटर ज्ञान के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और निर्धारित अवधि के भीतर 25 शब्दों प्रति मिनट की गति के साथ टाइपिंग टेस्ट पास करना होगा। ऊपर उल्लिखित नियमावली 2014 के नियम 5(1) का प्रावधान यह दर्शित करता है कि यदि कोई अभ्यर्थी एक वर्ष के भीतर 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति प्राप्त करने में विफल रहता है तो वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी और अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि दी जाएगी।यदि कोई अभ्यर्थी बढ़ी हुई अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो नियमों में यह प्रावधान है कि उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। कंप्यूटर में दक्षता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में एक समान शर्त लागू होती है।अतः टाइपिंग टेस्ट को पास आदेश में विफल रहने के कारण अपीलार्थी की सेवाओं की समाप्ति नियुक्ति के आदेश में निहित अनुबंध के साथ–साथ नियमावली 2014 के नियम 5(1) के प्रावधानों के संदर्भ में थी।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

10. उच्च न्यायालय का यह निर्देश कि प्रत्यर्थी को चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए माना जाना कानून के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।अनुकंपा नियुक्ति का कोई निहित अधिकार नहीं है।यह सुस्थापित है कि अनुकंपा नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 16 का एक अपवाद है जो सार्वजनिक रोजगार[4] के मामलों में अवसर की समानता के सिद्धांत का प्रतीक है। वेतनभोगी कर्मचारी की मृत्यु के कारण उत्पन्न परिवार के वित्तीय संकट से निपटने के लिए किसी मृतक कर्मचारी के परिवार से संबंधित व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है।अनुकंपा नियुक्ति को शासित करने वाले नियमों या योजना के तहत जिन शर्तों पर अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश की जाती है, उनका पालन करना होगा।

11. प्रत्यर्थी ने अर्थशास्त्र और सांख्यिकी कार्यालय में सहायक के रूप में नियुक्ति की मांग की और उसे ऐसी नियुक्ति प्रदान की गई। अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारी को संबंधित नियमों के तहत अनुपालन की जाने वाली सेवा शर्तों में से कोई छूट नहीं दी जाती है। अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित नियमों की व्याख्या इस बात को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए कि यह अवसर की समानता के सिद्धांत[5] का एक अपवाद है। अनुकंपा नियुक्ति प्रवेश स्तर की छूट प्रदान करती है। इस नियुक्ति का उपयोग केवल इसलिए नहीं किया जा सकता कि नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर की गई थी। जब तक कि नियम निर्धारित न हो, बाद में दी गई कोई भी छूट संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में परिकल्पित सिद्धांत का उल्लंघन करेगी। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति केवल उस कर्मचारी के परिवार को प्रदान की जाती है, जिसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, जो नियुक्ति के कई तरीकों में से एक है। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद, नियुक्ति के

---

4 महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक बनाम अंजू जैन, (2008) 8 एससीसी 475; शिवमूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2008) 13 एससीसी

5 उत्तरांचल जल संस्थान बनाम लक्ष्मी देवी, (2009) 7 एससीसी 205; झारखंड राज्य बनाम शिव करमपाल साहू, (2009) 11 एससीसी 453।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

तरीके की परवाह किए बिना सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, जब तक कि संबंधित नियम अन्यथा निर्धारित न करें।नियमावली 2014 के नियम 5(1)(i) में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त करने के लिए उसे निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी।नियम 5 का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

> "5. (1) यदि इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है और मृतक सरकारी कर्मचारी का पति/पत्नी पहले से ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम या राज्य सरकार के अधीन नियोजित नहीं है, तो उसके परिवार के एक सदस्य को, जो पहले से ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन नियोजित नहीं है, इस उद्देश्य के लिए आवेदन करने पर, सामान्य भर्ती नियमों में छूट देते हुए सरकारी सेवा में उपयुक्त रोजगार दिया जाएगा, सिवाय इसके कि वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में हो, किसी पद पर सामान्य भर्ती नियमों में छूट के तहत यदि ऐसा व्यक्ति –
> (i) पद के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता को पूरा करता हो।"
>
> (ii)

(प्रभाव वर्धित)

12. नियम 5(1)(i) में प्रवेश स्तर पात्रता मानदंड निर्धारित किया गया है। नियम 5 का पहला प्रावधान एक अतिरिक्त योग्यता निर्धारित करता है यदि किसी पद पर नियुक्ति की जाती है जिसके लिए कंप्यूटर और टाइपिंग का ज्ञान एक आवश्यक योग्यता के रूप में निर्धारित है। नियम के अनुसार निर्धारित समय अवधि के भीतर नियुक्त व्यक्ति द्वारा यह योग्यता अर्जित की जानी चाहिए। हालांकि प्रत्यर्थी के पास नियमों के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता थी, लेकिन उसने नियम 5 (1)(i) के

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

प्रावधानों के तहत निर्धारित योग्यता हासिल नहीं की। इस न्यायालय ने पूर्व में पात्रता मानदंड और अतिरिक्त योग्यताओं[6] दोनों की प्रासंगिकता को समझाया है। प्रत्यर्थी के पास उक्त पद पर बने रहने के लिए पात्रता मानदंड और योग्यता दोनों होनी चाहिए। सहायक के पद पर नियुक्ति मिलने के बाद, प्रत्यर्थी को कंप्यूटर में प्रवीणता का प्रमाण पत्र (जो उसने किया था) और निर्धारित अवधि के भीतर टाइपिंग में अपेक्षित गति प्राप्त करना (जो उसने दो अवसरों के बावजूद नहीं किया) प्राप्त करने की दोहरी शर्तों को पूरा करना था।किसी वैकल्पिक पद पर नियुक्ति का निर्देश उच्च न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकता है। इससे चतुर्थ श्रेणी के पद में अन्य की स्थान पर प्रवेश की अनुमति होगी, जो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं या जो लोग प्रतियोगिता में नियुक्ति चाहते हैं वे इसके पात्र होंगे।

13. **मुकुल सागर (उपरोक्त)** मामले में अपने पूर्व विनिश्चय पर अवलम्ब लेते हुए उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत था। तथापि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि **मुकुल सागर (उपरोक्त)** याचिकाकर्ता में विधि का सही सिद्धांत अधिकथित नहीं किया गया है, वर्तमान निर्णय का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि राज्य को नियुक्ति में बाधा डालने का निदेश दिया गया है जो **मुकुल सागर के मामले में** याची को प्रदान किया गया हो सकता है।

14. उपरोक्त कारण से, वर्तमान मामले में हम अपील में एकल न्यायाधीश और खण्ड पीठ के विचारों से सहमत होने में असमर्थ हैं।

15. खंडपीठ के दिनांक 25 अगस्त 2020 के आक्षेपित निर्णय और दिनांक 5 नवंबर 2019 के एकल न्यायाधीश के निर्णय को अपास्त करते हुए अपील

6 प्रीती श्रीवास्तव बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (1999) 7 एससीसी 120; गुजरात राज्य बनाम अरविन्द कुमार टी. तिवारी, एआईआर 2012 एससी 3281

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा संस्थित रिट याचिका इन परिस्थितियों में खारिज हो जाएगी।

16. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किया जाता है।

<u>सिविल अपील संख्या 5213/2022</u>

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 5524/2021 से उत्पन्न)

1 अनुमति प्रदान की गई।

2. प्रत्यर्थी की माँ अर्थ एवं सांख्य अधिकारी, मथुरा के कार्यालय में वरिष्ठ सहायक के रूप में कार्यरत थी।वर्ष 2015 में उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रत्यर्थी ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया और उसे कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति दी गई। दिनांक 30 मई, 2016 के नियुक्ति आदेश में नियमावली 2014 के नियम 5(1) की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। प्रत्यर्थी दिनांक 16 मार्च 2017 और 17 जुलाई 2019 को टाइपिंग टेस्ट में विफल रहा। दिनांक 31 जुलाई 2019 के एक आदेश द्वारा, प्रत्यर्थी की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। प्रत्यर्थी ने सेवा समाप्ति के आदेश को चुनौती दी और बहाली के राहत की मांग करते हुए एक रिट याचिका[7] दायर की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने दिनांक 21 नवंबर, 2019 को अपने निर्णय में **मुकुल सागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के मामले में पूर्व के निर्णय पर अवलम्ब लिया और याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया। खण्ड पीठ ने दिनांक 2 सितंबर, 2020 को अपने निर्णय में स्पेशल अपील डिफेक्टिव संख्या

7 रिट याचिका (सिविल) संख्या 18189/2019

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

169/2020[8] में अपने फैसले पर अवलम्ब लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर विशेष अपील[9] को खारिज कर दिया।

3. चूँकि एकल न्यायाधीश द्वारा जिस निर्णय पर अवलम्ब लिया गया है और **मोहम्मद रेहान** मामले में खंडपीठ के निर्णय को उपरोक्त निर्णय में अस्वीकृत कर दिया गया है, खंडपीठ के निर्णय दिनांक 2 सितंबर 2020 और एकल न्यायाधीश के निर्णय दिनांक 21 नवंबर 2019 को रद्द करके वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाएगा। प्रत्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई रिट याचिका खारिज हो जाएगी।

4 उपरोक्त शर्तों में अपील को अनुमति दी जाती है।

5. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, को निस्तारित किया जाता है।

....

[न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़]

....

[न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना]

नई दिल्ली;

08 अगस्त, 2022

सीकेबी

---

8 स्पेशल अपील डिफेक्टिव संख्या 168/2020

9 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद रेहान खान दिनांक 25 अगस्त 2020

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"